FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2023/89

राजस्व अपील प्राधिकारी ,सवाई माधोपुर

अज अदालत...मुकाम...

.....................राजेश वगैरह.................................बनाम...................................बाबूलाल वगै0...........

किस्म मुकदमा......राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अन्तर्गत धारा 225...............नं...........39.......सन्.....2023.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.23	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नंबर 15/2023 बउनवान बाबूलाल वगैरह बनाम राजेश वगैरह में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.05.2023 से मियाद अन्दर पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा जिला करौली के अंतरिम आदेश दिनांक 17.05.2023 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 28.06.2023 तक इस प्रकार जारी की गई कि आराजी खसरा नंबर 445, की भूमि के लिए खसरा नंबर 659 व 446 वाके ग्राम विलोज नगर तहसील सपोटरा की मेड पर संलग्न नक्शा बजरंगलाल मार्क ए0बी0सी0डी0 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे एवं प्रार्थीगण के आवागमन रास्ता को बंद नही करे ना ही दीगर से करावे। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जमाबंदी संवत् 2073-2076 खसरा नंबर 659 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम बिलोलनगर तहसील सपोटरा के अनुसार राजेश, [illegible] रंगजी 659 का संयुक्त खातेदार है। जमाबंदी संवत् 2073-2076 वाके ग्राम बिलोलनगर पटवार क्षेत्र सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली के अनुसार खसरा नंबर 438 रकबा 19 बिस्वा खसरा नंबर 446 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा राधेश्याम पुत्र देवनारायण कौम ब्राहम्ण के	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सवाई माधोपुर

82

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नाम दर्ज रिकार्ड है। जो अपीलांट संख्या 16 के हिस्से की आराजी है। यदि कोई व्यक्ति जो आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार अथवा संयुक्त खातेदार हो के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 212 मे जारी नही की जा सकती है। मातहत अदालत को दुसरे पक्ष को भी सुनकर आदेश दिया जाना चाहिए था। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.05.23 को अपास्त फरमाया जावे।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। अपीलाण्टगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 17.05.23 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.05.23 का अवलोकन किया गया।

राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम धारा 212 के अनुसारः—

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध.—

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही मे यदि शपथ—पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्व हो जाये किः—

(क) किसी सम्पति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुव्यर्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम मे उक्त सम्पति को हटाने अविा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने कई दृष्टांतो मे इस तथ्य का प्रतिपादन किया है कि एक रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। यह दृष्टांत को इस संबंध मे भी बल मिलता है कि संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नंबर 659 रकबा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 446 रकबा 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बीघा 8 बिस्वा के मध्य से कोई रिकॉर्डेड रास्ता या कदीमी रास्ते का अंकन नही है। मातहत अदालत ने बिना रिकार्ड का विवेचन व अवलोकन किए ही विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।
2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।
3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।
4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जमाबंदी संवत् 2073–2076 वाके ग्राम बिलोलनगर पटवार क्षेत्र सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली के अनुसार खसरा नंबर 659 रकबा 18 बिस्वा मे अपीलांट संख्या 01 राजेश उर्फ रंगजी संयुक्त रिकार्डेड खातेदार है। इसी प्रकार खसरा नंबर 438 रकबा 19 बिस्वा खसरा नंबर 446 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा राधेश्याम पुत्र देवनारायण कौम ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। यद्यपि यह तथ्य तो मूल वाद मातहत अदालत मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए में साक्ष्य के आधार पर ही तय होगा कि रेस्पोडेन्टगण को रास्ता दिया जाना चाहिए या नही ? चूंकि अपीलांट विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार है अतः इस आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में पाया जाता है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनेक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक रेकॉर्डेड खातेदार व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत के आदेशिका दिनांक 17.05.23 में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर उसी दिन अप्रार्थीगण/अपीलाण्टगण को बिना सुने ही एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई।

द्वितीय, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार ये तीनों घटक रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थी के पक्ष में हैं?

तृतीय, अदालत मातहत द्वारा पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 12.03.2014 के मार्गदर्शनों की पालना नहीं की गई है।

चतुर्थ, तहत अदालत की आदेशिका में ऐसी किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं है कि प्रकरण 'अत्यंतावश्यकता' का है, जिसके कारण एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है। एक रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नंबर 659 रकबा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 446 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा के मध्य से कोई रिकॉर्डेड रास्ता या कदीमी रास्ते का अंकन नही है। यह अलग तथ्य है कि धारा 251–ए प्रार्थना पत्र का अदालत मातहत द्वारा क्या निर्णय किया जावेगा ? परन्तु इस स्तर पर प्रार्थना पत्र मे आवेदित रास्ता मे सम्मिलित खसरा नंबर 446 व 659 के खातेदारान को पाबन्द किया जाना, अदालत मातहत का झुकाव रेस्पोडेन्टगण को प्रार्थना पत्र 251–ए मे आवेदित रास्ता दिए जाने की तरफ मे इंगित करता है। मातहत अदालत ने बिना रिकार्ड का विवेचन व अवलोकन किए ही विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के आदेश दिनांक 17.05.23 को विवादित आराजीयात खसरा नंबर 659 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 446 रकबा 2 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

8 बिस्वा वाके ग्राम बिलोलनगर पटवार क्षेत्र सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली का प्रचलन स्थगित किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

आदेश आज दिनांक 27.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner